सत्यमेव जयते
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के दो प्रयोजन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं टेक होम राशन

खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार के पास कई योजनाएं हैं, जिनके अंतर्गत पात्रित आबादी कुछ अधिकारों का लाभ उठा सकती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

(उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)

- भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रणाली है।
- पात्रित लाभार्थियों को स्थानीय राशन की दुकान के माध्यम से कम कीमत पर राशन वितरण करती है।

दी जाने वाली खाद्य सामग्री- अनाज (गेहूं, चावल), चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल और आयोडीनयुक्त नमक आदि।

पात्रता- वार्षिक आय, प्राथमिकता वाले परिवारों और परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर विभिन्न राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

राशन कार्ड बनवाने के लिए वार्ड सदस्य, सरपंच, पंचायत सचिव, पंचायत के मुखिया /एफ.एन.एच.डब्ल्यू. सी.आर.पी. से संपर्क करें।

टेक होम राशन (THR)

(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)

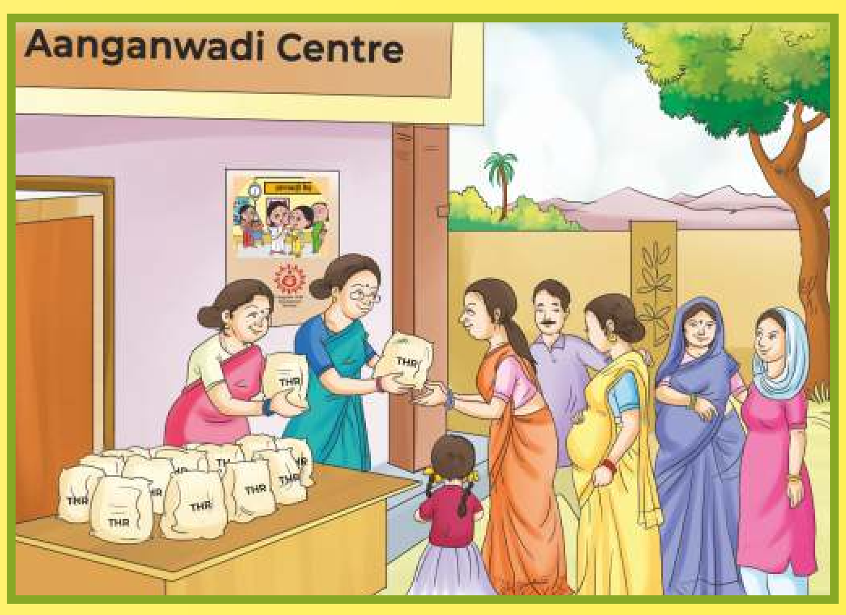

- समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित किया जाता है।
- पात्रित परिवारों के बच्चों और महिलाओं का पोषण सुनिश्चित करता है।

पात्रता- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे और पहचान की गई किशोरियाँ।

3-6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।

प्रत्येक माह टीएचआर के वितरण के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिन निर्धारित किया जाता है, जिसे ग्राम, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस कहा जाता है।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की दीदी से संपर्क करें।